

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर।

पत्रांक :-जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2013-14 73

दिनांक : ०६ - ०८ - १३

प्रबन्धक,

छुरु सिद्धार्थ इन्टरनेशनल एस्कूल
उपाचार माद्रासा - संग्रही

विषय :-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18
 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम
 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक ०६-०८-१३ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती
 पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं छुरु सिद्धार्थ इन्टरनेशनल एस्कूल (विद्यालय
 का नाम पते सहित) को दिनांक ०१.०७.२०१३. से दिनांक 30.०६.२०१६ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा
 VIII से कक्षा VIII तक के लिए अन्तिम गान्यता प्रदान करने की संसूचना देता
 हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विरतारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात
 मान्यता/संबंधन के लिए कोई वाध्यता दिवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपायंध 1) और निःशुल्क
 और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपायंध 2) के उपवंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या केप्रतिशत तक आस-पड़ौस के
 लंगड़ोर वार्ग और झलानपद समूह के बालकों को प्राप्त प्रदान करेगा ताकि उन्हें निःशुल्क और
 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक फलान्ध करायेगा।
- 4 ऐरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपवंधों के
 अनुसार प्रतिपुरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपुरितां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् संकेत
 स्थापना रखेगा।
- 5 सारांशी नियमानुसार दिए गए उपवंध का उपर्युक्त काम जीवनी विद्यालय को दिया जाएगा।

Secretary Treasurer President
 Gurudeep Shikshan Eman Jankalyan Samiti

- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजरथान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजरथान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के संगूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। पर्येक लेखा विवरण नी पाक प्रति प्रत्येक वर्ष जित्ता शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ रथानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता रांबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी विए जाएं।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.....73.....है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उत्तेज करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो रामय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजरथान, वीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ रथानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता रांबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी विए जाएं।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवोनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 19 संलग्न उपांक-पर के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

Secretary Treasurer President
Gurudeep Shikshan Evam Jankalyan Samiti

गवर्दीय
जित्ता शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

- 6 विद्यालय किसी वालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म रथान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती घाता गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी वालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा?
 - (II) किसी भी वालक को शारीरिक दंड या भानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी वालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाना।
 - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक ख्याय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को यनाए रखेगा। अंतिग निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
 विद्यालय परिसर का धेत्र
 कुल निर्मित क्षेत्र
 क्रीड़ा रथल का क्षेत्रफल
 कक्षा कमरों की संख्या
 प्रधानाध्यापक--सह--कार्यालय--सह--भड़ार कक्ष
 वालक और वालिकाओं के लिए पृथक शौकालय
 पैदाजल सुविधा
 मिट्टे-डै-मील गढ़की या टिप्प लाई गाड़ा रहित पहच
 वालिकों के लिए बालिकाओं के लिए विद्यालय की सुविधा

  
 Secretary Treasurer President
 Gurudeep Shikshan Evarn Jankalyan Samiti